रजिस्ट्री सं. डी-(डी एन)-128/90 REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 1990 (चैत्र 3, 1912)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 1990 (CHAITRA 3, 1912)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

सहयोगी बैंक विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई—400021, दिनांक 28 फरवरी 1990

सं० एस० बी० डी०/667

अनुलग्नक

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित संशोधन
विनियम 63	विनियम 63:
कोई अधिकारी, प्रबंध निदेश की पूर्व संस्वीकृति के बगैर अपने किसी अधिकृत कार्य के समर्थन हेतु, जिसकी प्रतिकूल आलोचना हुई हो या जिस पर मानहानिकारक टिप्पणियां की गई हों, किसी न्यायालय की या प्रेस की शरण नहीं लेगा ।	कोई अधिकारी, प्रबंध निदेशक की पूर्व संस्वीकृति के बगैर अपने किसी अधिकृत कार्य के समर्थन हेतु, जिसकी प्रतिकूल आलोचना हुई हो या जिस पर मानहानिकारक टिप्पणियां की गई हों, किसी न्यायालय की या प्रेस की शरण नहीं लेगा ।
परन्तु इस विनियम की किसी भी बात से यह नहीं माना जाएगा कि किसी अधिकारी पर उसके अपने वैयक्तिक	परन्तु इस विनियम की किसी भी बात से यह नहीं माना जाएगा कि किसी अधिकारी पर उसके अपने वैयक्तिक

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित संशोधन
चरित्र का या वैयक्तिक हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य का समर्थन करने की पाबंदी है।	चरित्र का था वैयक्तिक हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य का समर्थन करने की पाबंदी है एवं जहां अपने वैयक्तिक चरित्र का या वैयक्तिक हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के समथन हेतु कोई कार्य किया जाता है तो अधिकारी, उसके द्वारा की गई कार्रवाई की तिथि से 3 माह की अवधि के अन्दर अपने उच्चाधिकारी को एक रिपोर्ट देगा।

बम्बई-400021, दिनांक 14 मार्च 1990

सं० एस० बी० डी०/840

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित विनियम
3(ठ) "वेतन" का आशय मूल वेतन से है ।	"वेतन" का आशय मूल वेतन सहित अवरुद्ध वेतनवृद्धि से है।
(ड) "कुल वेतन" का आशय मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के कुल योग से है ।	"वेतन" का आशय वेतन तथा महंगाई भत्ते के कुल योग से है।
4(1) दिनांक 1 फरवरी, 1984 को तथा उसके बाद से प्रत्येक श्रेणी के सामने लिखे गए वेतनमान के अनुसार अधिकारियों की चार निम्नलिखित श्रेणियां होंगी :—	दिनांक 1 फरवरी, 1984 को तथा उसके बाद से प्रत्येक श्रेणी के सामने लिखे गए वेतनमान के अनुसार अधिकारियों की चार निम्नलिखित श्रेणियां होंगी :—
(क) उच्च कार्य पालक श्रेणी :	(क) उच्च कार्य पालक श्रेणी :
वेतनमान 7 रु० 4100–125–4600	वेतनमान 7 रु० 4100–125–4600
वेतनमान 6 रु० 3850–125–4350	वेतनमान 6 3850–125–4350
(ख) वरिष्ठ प्रबंध श्रेणी :	(ख) वरिष्ठ प्रबंध श्रेणी :
वेतनमान 5 रु० 3575–110–3685–115–3800	वेतनमान 5 रु० 3575–110–3685 115–3800
वेतनमान 4 रु० 2925–105–3450	वेतनमान 4 रु० 2925–105–3450
(ग) मध्य प्रबंध श्रेणी	(ग) मध्य प्रबंध श्रेणी :
वेतनमान 3 रु० 2650–100–3250–	वेतनमान 3 रु० 2650–100–3250
वेतनमान 2 रु० 1825–100–2925	वेतनमान 2 रु० 1825–100–2925
(घ) कनिष्ठ प्रबंध श्रेणी :	(घ) कनिष्ठ प्रबंध श्रेणी :
वेतनमान रु० 1175–60–1475–70 1895–दक्षता रोध –95–2275–100–2675	वेतनमान 1 रु० 1175–60–1475–70–1895–दक्षता रोध –95–2275–100–2675
परन्तु यह कि विनियम 8 के अंतर्गत जारी मार्गदर्शनों के अनुसरण में उक्त वेतन श्रेणी में नियत प्रत्येक अधिकारी, जो नियत दिनांक को प्रचालित श्रेणीमान द्वारा नियंत्रित है, को स्टेट बैंक के मार्गदर्शनों के अनुसार ऊपर निर्धारित वेतन श्रेणी में नियत किया जाएगा ।	दिनांक 1 नवम्बर, 1987 को तथा उसके बाद से प्रत्येक श्रेणी के सामने लिखे गए वेतनमान निम्नानुसार होंगे :—
	(क) उच्च कार्य पालक श्रेणी :
	वेतनमान 7 रु० 6400–150–7000
	वेतनमान 6 रु० 5950–150–6550
	(ख) वरिष्ठ प्रबंध श्रेणी :
	वेतनमान 5 रु० 5350–150–5950
	वेतनमान 4 रु० 4520–130–4910–140–5050–150–5350
	(ग) मध्य प्रबंध श्रेणी :
	वेतनमान 3 रु० 4020–120–4260–130–4910
	वेतनमान 2 रु० 3060–120–4260–130–4390

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित विनियम
	(घ) कनिष्ठ प्रबंध श्रेणी : वेतनमान 1 रु० 2100–120–4020 परन्तु यह कि यदि नियत दिनांक को प्रचलित वेतनमान से नियंत्रित होने वाले किसी अधिकारी को विनियम 8 के अंतगत निर्गमित दिशानिर्देशों के अनसरण में उक्त वेतनमान में रखा गया हो, तो उसे भारतीय स्टेट बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त वेतनमान में रखा जाएगा ।
5(1) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के आधार पर वेतन-वृद्धि का उपार्जन विनियम 4 में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में किए गए उल्लेख के अनुसार वार्षिक रूप से होगा, जो उस महीने '(जिसमें वह देय होगा) के प्रथम दिन से दिया जाएगा ।	1 नवम्बर, 1987 से अथवा उसके पश्चात वेतन वृद्धियां निम्नलिखित उपखंडों के अध्यधीन दी जाएगी :—
	(क) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यधीन विनियम 4 (1) में उल्लिखित विभिन्न वेतनमानों में वेतन-वृद्धियां वार्षिक आधार पर उपचित होगी और वे जिस महीने देय होती है, उस महीने के प्रथम दिन के लिए स्वीकृत की जाएंगी ।
परन्तु यह कि जब अधिकारी को एक वर्ग या श्रेणी से दूसरे वर्ग या श्रेणी में पदोन्नत किया जाता है और पदोन्नति के परिणामस्वरूप कुल वेतन में होने वाली वृद्धि की मात्रा पिछले वर्ग या श्रेणी में अगले स्तर पर उसके द्वारा आहरित किए जाने वाले कुल वेतन से कम है तो उसे नए वर्ग या श्रेणी में अपनी वेतनवृद्धि पदोन्नति के वार्षिक दिनांक के बदले उसी महीने से, जिसमें वह अपनी पिछली श्रेणी या वर्ग में वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहा था, वेतनवृद्धि प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी ।	(ख) वेतनमान 1 और 2 के अधिकारियों को अपने संबंधित वेतनमानों में अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष बाद, निम्नलिखित मद (ग) यथा-निर्दिष्ट के अनुसार अवरुद्ध वेतनवृद्धियों सहित अगले वेतनमान के अनुसार वेतनवृद्धियां दी जाएंगी, किन्तु ये वेतनवृद्धियां उनके दक्षतारोध पार कर लेने के अध्यधीन होंगी ।
परन्तु यह कि 1 जनवरी, 1985 को और उसके पश्चात कनिष्ठ प्रबंध श्रेणी 1 और मध्य प्रबंध श्रेणी 2 और 3 के अधिकारी जो अपने वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंच गए हैं, उन्हें संबंधित वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के पश्चात प्रत्येक पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के लिए अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर अवरुद्ध वेतन वृद्धि दी जाएगी लेकिन यह वेतनवृद्धियां कनिष्ठ प्रबंध श्रेणी 1 के लिए अधिकतम दो और मध्य प्रबंध श्रेणी 2 और 3 के लिए अधिकतम एक होगी । वह अधिकारी जो अपने संबंधित वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर सेवा के पांच वर्ष से अधिक पूरे कर चुक हैं, उन्हें ऐसी प्रथम अवरुद्ध वेतनवृद्धि जिस स्थिति को दी है उस स्थिति से अथवा 1 जनवरी 1985 से जो भी बाद में आती है, दी जाएगी लेकिन ऐसी दूसरी वेतनवृद्धि पात्र अधिकारियों को 1 जनवरी 1987 से पहले नहीं दी जाएगी ।	(ग) उपर्युक्त (ख) में संदर्भित अधिकारियों सहित, ऐसे सभी अधिकारियों को, जो मध्यक्रम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान 2 और 3 के अधिकतम चरण तक पहुंच जाते हैं, वेतनमान 2 या 3 जैसी भी स्थिति हो, के आखिरी चरण पर पहुंचने के बाद पूरी हो चुकी प्रति तीन वर्ष की सेवा अवरुद्ध वेतनवृद्धियां पा सकेंगे, जो वेतनमान 2 के आखिरी चरण में अधिकारियों के लिए अधिकतम रु० 130/- की प्रत्येक वेतनवृद्धि की दो वेतनवृद्धियों के अध्यधीन होंगी और वेतनमान 3 के आखिरी चरण में अधिकारियों के लिए 140/- की एक वेतनवृद्धि अध्यधीन होंगी ।
	टिप्पणी : अगले उच्चतर वेतनमान में इस प्रकार की वेतन-वृद्धियां देना पदोन्नति नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार की वेतनवृद्धियां प्राप्त करने के बाद भी अधिकारी अपने वास्तविक वेतनमान 1 या 2, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कार्य, दायित्व या पद प्राप्त करते रहेंगे ।
5(2) दिनांक 1 अक्तूबर 1979 के बाद सी० ए० आई० आई० बी० परीक्षा के प्रत्येक भाग पास करने पर वेतन श्रेणी में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी ।	दिनांक 1–11–1987 को और उसके बाद, जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम चरण पर पहुंच जाते हैं या पहुंच गए हैं और पदोन्नति के माध्यम को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें स्टेट बैंक के दिशा निर्देशों के अध्यधीन यदि कोई, सी० ए० आई० आई० बी० की परीक्षा पास करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियों
लेकिन यह कि 1 जनवरी, 1984 को और उसके पश्चात जो अधिकारी अपने वेतनमान के उच्चतर बिन्दु पर पहुंच गए हैं,	

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित विनियम
उन्हें वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर एक साल पूरा करने के पश्चात सी० ए० आई० आई० बी० के भाग–1 पास किए जाने पर 100/- रुपए प्रतिमाह और वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के बाद दो वर्ष पूरे करने पर सी० ए० आई० आई० बी० परीक्षा के दोनों भाग पास होने पर 200/- रुपए प्रतिमाह व्यावसायिक योग्यता भत्ता मिलेगा ।	की एवज में व्यावसायिक योग्यता भत्ते को निम्नानुसार स्वीकृत किया जाएगा :—
	सी० ए० आई० आई० बी० का केवल एक भाग पास करने वाले अधिकारी को — एक वर्ष के बाद रु० 100/- प्रतिमाह जिसमें से रु० 75 पर अधिवार्षिकी लाभ प्राप्त होंगे ।
	सी० ए० आई० आई० बी० के दोनों भाग पास करने वाले अधिकारी को — (1) एक वर्ष के बाद रु० 100/- प्रतिमाह, जिसमें से रु० 75/- पर अधिवार्षिकी लाभ प्राप्त होंगे । (2) 2 वर्ष के बाद रु० 250 प्रतिमाह, जिसमें से रु० 200/- पर अधिवार्षिकी लाभ प्राप्त होंगे ।
स्पष्टीकरण 2 कोई अधिकारी वेतन श्रेणी की उच्चतम सीमा पर पहुंचने के बाद उसे सी० ए० आई० आई० बी० की परीक्षा पास करने पर कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी ।	टिप्पणी :—यदि किसी अधिकारी को, जो व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त कर रहा है, अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नत किया जाता है, तो उसे उस श्रेणी के वेतनमान में निर्धारित करते समय उस वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक सी० ए० आई० आई० बी० पास करने के लिए अतिरिक्त वेतनवृद्धि (यां) स्वीकृत की जाएंगी और यदि वेतनमान में वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं हो या उसमें केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध हो तो वह अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) की एवज में व्यावसायिक योग्यता भत्ता पाने का पात्र होगा ।
21. दिनांक 1 फरवरी, 1984 को या 1 फरवरी 1984 से प्रत्यक अधिकारी को महंगाई भत्ते का भुगतान अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 332(आधार वर्ष 1960-100) से अधिक होने पर किया जाएगा । इस महंगाई भत्ते का निर्धारण, प्रभावहीनता की दर, समायोजन की बारम्बारता, ब्लाक (जिसके लिए यह देय होगा) और वेतनसहित, महंगाई भत्ते की अधिकतम सीमा समय-समय पर बोर्ड या कार्यकारिणी समिति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के मार्ग दर्शनों के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।	दिनांक 1–11–1987 को और उसके पश्चात महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :—
	(1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960-100 के तिमाही औसत पर 600 बिन्दुओं के ऊपर प्रत्येक 4 बिन्दु के बढ़ने या घटने के अनुसार देय होगा ।
	(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों के अनुसार देय होगा :—
	(i) रु० 1650 तक के वेतन का 0.67 प्रतिशत, और
	(ii) रु० 1650 से ऊपर रु० 2835 तक के वेतन का 0.55 प्रतिशत, और
	(iii) रु० 2835 से ऊपर रु० 4020 तक के वेतन का 0.33 प्रतिशत, और
	(iv) रु० 4020 से ऊपर के मूल वेतन का 0.17 प्रतिशत ।
(विनियमन 21 के अंतर्गत जारी वर्तमान दिशा निर्देश, प्रस्तावित विनियमन के कारण निरस्त किए गए हैं ।	

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित विनियम
22(1) दिनांक 1 फरवरी 1984 से या उसके बाद अधिकारी को बैंक द्वारा आवास सुविधा दिए जाने पर अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह काम कर रहा है, के पहले चरण का 10 प्रतिशत अथवा आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा ।	दिनांक 1-11-1987 से या उसके बाद अधिकारी को बैंक द्वारा आवास सुविधा दिए जाने पर अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह काम कर रहा है, के पहले चरण का 6% अथवा आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा ।
(2) दिनांक 1 फरवरी, 1984 से या उसके बाद अधिकारी को बैंक द्वारा आवास सुविधा न दिए जाने पर अधिकारी मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे । यह राशि उसके द्वारा अपने आवास के लिए, अपने पहले स्टेज के वेतन, जिसमें वह स्थित है, के 10 प्रतिशत से अधिक दिए गए वास्तविक किराए के बराबर होगी, और निम्न दरों के अन्तर्गत होगी :—	दिनांक 1-11-1987 को या उसके बाद अधिकारी को बैंक द्वारा आवास सुविधा न दिए जाने पर अधिकारी निम्नलिखित दर से मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे :—

कार्य स्थान	अधिकतम सीमा	कार्यस्थान	भुगतान योग्य मकान किराया भत्ता
(1) समय-समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा स्टेट बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप उल्लिखित प्रमुख "क" वर्ग के शहरों में तथा वर्ग "क" परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	मूल वेतन का 17 1/2% अधिकतम रु० 500/- प्र० मा०	(1) समय-समय पर स्टेट बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप उल्लिखित प्रमुख "क" वर्ग के शहरों में तथा वर्ग "क" परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	वेतन का 14% अधिकतम रु० 375/- प्र०मा०
(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित नगरों के अतिरिक्त क्षेत्र–1 तथा वर्ग "ख" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	मूल वेतन का 15 % अधिकतम रु० 400/- प्र० मा०	(2) क्षेत्र-1 में अन्य स्थान तथा वर्ग "ख" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% अधिकतम रु० 300/- प्र०मा०
(3) क्षेत्र–2 और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में [उपर्युक्त मद (1) और (2) में उल्लिखित नगरों के अतिरिक्त]	मूल वेतन का 12 1/2% अधिकतम रु० 300/- प्र० मा०	(3) क्षेत्र-2 और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में [उपर्युक्त मद (1) और (2) में उल्लिखित नगरों के अतिरिक्त]	वेतन का 10% अधिकतम रू०250/— प्र०मा०
(4) क्षेत्र–3	मूल वेतन का 10 अधिकतम रु० 250/- प्र० मा०	(4) क्षेत्र–3	वेतन का 8 % अधिकतम रु०225/–प्र०मा०

नोट :—अधिकारी द्वारा किराया रसीद प्रस्तुत करने पर उपरोक्त मकान किराया भत्ता दिया जाएगा । इसके अपवाद में, अधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर उपरोक्त मकान किराया भत्ता मांग सकता है जिसकी अधिकतम सीमा निम्न प्रकार होगी :—	ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे अन्य तरीके से देय अधिकतम मकान किराये भत्ते के 160% तक, जिस वेतनमान में वह रखा गया है, उस वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 6% से ऊपर की राशि उसकी अपनी आवास सुविधा के लिए उसके द्वारा चुकायी गयी वास्तविक किराया राशि मकान किराया भत्ते के रूप में उसे देय होगी ।
प्रमुख "क" वर्ग के शहर — अधिकतम 275 /- उपर्युक्त (1) के नगरों में अतिरिक्त क्षेत्र–1 के नगर/शहर — अधिकतम रु० 225/- क्षेत्र –2 और राज्यों व संघ राज्य — अधिकतम रु० 165/- क्षेत्र–3 — रु० 110/- (नियत)	
22(3) जब अधिकारी अपने ही मकान में निवास करता है तो वह उपर्युक्त उप-विनियम (2) में उल्लिखित आधार पर मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा। निम्नलिखित "क" या "ख" में से, जो भी अधिक हो, के	जब अधिकारी अपने ही मकान में निवास करता है वह उपर्युक्त उपविनियम (2) में उल्लेख किए गए आधार पर नीचे दिए गए "क" या "ख" में से जो भी अधिक हो, उस पर एक बारहवा अंश की समतूल्य राशि मासिक

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित विनियम
एक बारहवें अंश की समतुल्य राशि उसके मासिक किराए के रूप में भुगतान की राशि मानी जाएगी ।	किराए के रूप में भुगतान किए जैसे समझते हुए मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा ।
"क"	"क"
निम्न मदों का योग :	निम्न मदों का योग :—
(1) मकान पर देय म्युनिसिपल कर,	(1) मकान पर देय म्युनिसिपल कर । और
(2) भूमि के लागत के साथ मकान के कुल पूंजीगत लागत का 12% तथा मकान एक बड़े भवन का भाग होने पर, उस तरह के लिए मान्य पूंजीगत भूमि लागत का अनुपातिक अंश की राशि, जिसमें वातानुकूलन यंत्र जैसे विशेष जुड़नार की लागत मिलाई नहीं जाएगी । या	(2) भूमि के लागत के साथ मकान के कुल पूंजीगत लागत का 12% तथा मकान एक बड़े भवन का भाग होने पर, उस तरह के मकान के लिए मान्य पूंजीगत भूमि लागत का अनुपातिक अंश की राशि, जिसमें वातानुकूलन यंत्र जैसे विशेष जुड़नार की लागत मिलाई नहीं जाएगी । या
"ख"	"ख"
मकान के म्युनिसिपल मूल्यांकन के अनुसार वार्षिक किराया मूल्य ।	मकान के म्युनिसिपल मूल्यांकन के अनुसार वार्षिक किराया मूल्य ।
स्पष्टीकरण :	स्पष्टीकरण :
(I) इन प्रावधानों के प्रयोजन के लिए "मानक किराया का आशय यह है कि :	(1) इस विनियमन के प्रयोजन के लिए "मानक किराया" का आशय यह है कि :—
(1) बैंक के निजी आवास के मामले में सरकारी कार्यालयों में प्रचलित परिकलन पद्धति के आधार पर परिकलित मानक किराया ।	(1) बैंक के निजी आवास के मामले में सरकारी कार्यालयों में प्रचलित परिकलन पद्धति के आधार पर मानक किराया ।
(2) यदि आवास बैंक द्वारा किराए पर लिया गया हो, तो बैंक द्वारा देय अनुबन्धित किराया ।	(2) यदि आवास बैंक द्वारा किराए पर लिया है तो बैंक द्वारा देय अनुबन्धित किराया ।
(2) इस विनियम में और विनियम 23 में कथित क्षेत्र-1, क्षेत्र-2 और क्षेत्र-3 का तात्पर्य वही होगा, जो बैंक के कर्मकार स्टाफ के निबन्धनों के प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया है ।	
23(1) दिनांक 20-8-88 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित स्थान पर कार्य कर रहा है, तो उस स्थान के सामने उसके स्तंभ 2 में उल्लिखित दर से नगर प्रतिपूर्ति भत्ता अदा किया जाए ।	दिनांक 1-11-1987 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित स्थान पर कार्य कर रहा है, तो उस स्थान के सामने उसके स्तंभ 2 में उल्लिखित दर से नगर प्रतिपूर्ति भत्ता अदा किया जाए और पणजी तथा मारमुगाओ के शहरी समूह, के अलावा गोवा राज्य के स्थानों में नगर प्रतिपूर्ति भत्ता जहां पर यह 1-11-1987 को देय नहीं था, 20-8-88 से देय होगा ।

स्थान (1)	दर (2)
(क) क्षेत्र 1 और गोवा राज्य के स्थान	मूल वेतन का 10% जो प्रतिमाह 200/- रुपए अधिकतम राशि का अध्यधीन होगा ।
(ख) उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत शामिल न किए गए 5 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्य की राजधानियां और चंडीगढ़ पांडिचेरी तथा पोर्ट ब्लेअर	मूल वेतन का 6% जो प्रतिमाह 120/- रुपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन होगा ।

स्थान (1)	दर (2)
(क) क्षेत्र 1 और गोवा राज्य के स्थान	मूल वेतन का 6 1/2% जो प्रतिमाह 220/— रुपये अधिकतम राशि का अध्यधीन होगा ।
(ख) उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत शामिल न किए गए 5 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्य की राजधानियां और चंडीगढ़, पांडिचेरी तथा पोर्ट ब्लेअर ।	मूल वेतन का 4% जो प्रतिमाह 135/— रुपये की अधिकतम राशि के अध्यधीन होगा ।

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित विनियम
23(5) दिनांक 1 फरवरी 1984 को या उसके बाद यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपने प्रतिनियुक्त पद से संबंधित परिलब्धियां प्राप्त कर सकता है अथवा वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 15% प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे सभी भत्ते, जो स्थानपर नियुक्ति होने पर देय हों, प्राप्त कर सकता है।	1 नवंबर 1987 अथवा उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपने प्रतिनियुक्त पद से संबंधित परिलब्धियां प्राप्त कर सकता है अथवा वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 12% अधिकतम रु० 700/- प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे सभी भत्ते, जो स्थान पर नियुक्ति होने पर देय हों, प्राप्त कर सकता हैं।
परन्तु यदि प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व के नियुक्ति स्थानपर स्थित किसी संस्थान में उसे प्रतिनियुक्त किया गया हो तो उसे वेतन का 7½% तक प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।	परन्तु यदि प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व के नियुक्ति स्थान पर स्थित किसी संस्थान में उसे प्रतिनियुक्त किया गया हो तो उसे वेतन का 6% अधिकतम रू०350/—तक प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।
आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अधिकारी संकाय सदस्य के रूप में बैंक के प्रशिक्षण संस्थान या बैंकिंग सेवा भत्ता बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर है, तो वह अपने मूल वेतन का 7 1/2% प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए पात्र होगा। लेकिन बैंकिंग सेवा भत्ता बोर्ड में प्रतिनियुक्त अधिकारी इस प्रकार के प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए 29 अक्तूबर 1985 से ही पात्र होगा, उससे पूर्व नहीं।	आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अधिकारी संकाय सदस्य के रूप में बैंक के प्रशिक्षण संस्थान या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर है, तो वह अपने मूल वेतन का 6% अधिकतम रू० 350/- तक प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए पात्र होगा।
23(6) दिनांक 1 जनवरी 1985 से या उसके बाद में, यदि कोई अधिकारी उच्च श्रेणी के पद पर लगातार कम से कम 7 दिन अथवा एक कलेण्डर महीने में कुल 7 दिन स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है तो उसे स्थानापन्न श्रेणी में उपलब्ध कुल न्यूनतम वेतन और उसको प्राप्त वेतन का 10% अधिकतम रु० 250/- प्र०मा० स्थानापन्न भत्ते के रूप में उस अवधि के लिए प्राप्त होगा, जिसे अवधि में उसने स्थानापन्न कार्य किया है। स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्य निधि के उद्देश्य से वेतन माना जाएगा, अन्यथा नहीं।	दिनांक 1-11-1987 से या उसके बाद में यदि कोई अधिकारी उच्च श्रेणी के पद पर लगातार कम से कम 7 दिन अथवा कैलेण्डर महीने में कुल 7 दिन स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है तो उसे स्थानापन्न श्रेणी में उपलब्ध कुल न्यूनतम वेतन और उसको प्राप्त वेतन का 6% अधिकतम रू०250/- प्र०मा० स्थानापन्न भत्ते के रूप में उस अवधि के लिए प्राप्त होगा, जिस अवधि में उसने स्थानापन्न कार्य किया है। स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्य निधि के उद्देश्य से वेतन माना जाएगा, अन्यथा नहीं।
यदि कोई अधिकारी विनियमन 6 के अंतर्गत पदों के श्रेणीकरण की समीक्षा के एकमात्र परिणामस्वरूप उच्च वेतनमान में स्थानापन्न करता है, तो वह श्रेणीकरण की समीक्षा के प्रभावी दिनांक से एक साल की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।	यदि कोई अधिकारी विनियमन 6 के अंतर्गत पदों के श्रेणीकरण की समीक्षा के एकमात्र परिणामस्वरूप उच्च वेतनमान स्थानापन्न करता है, तो वह श्रेणीकरण की समीक्षा के प्रभावी दिनांक से एक साल की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।
23(7) यदि कोई अधिकारी प्रत्यक्ष रुप से लेखा-बन्दी कार्य में लगा हुआ है या लेखा-बन्दी से संबंधित कोई अतिरिक्त कार्य उसे करना पड़ता है तो उसे प्रत्येक अर्थ-वार्षिक लेखा समापन पर रु० 150/- लेखा-बन्दी भत्ता दे होगा।	वित्तीय वर्ष 1989-90 से या उसके पश्चात यदि वह ऐसी शाखा में नियुक्त है जहां लेखा-बन्दी कार्य 31 मार्च और 30 सितंबर को होता है तो उसे प्रत्येक लेखा-बन्दी के लिए रू० 150/- लेखा -बन्दी भत्ते देय होगा।
23(10) दिनांक 1-1-1985 को और उसके बाद से यदि कोई अधिकारी निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवारत है तो उसे स्तंभ 2 में	दिनांक 1-11-1987 को और उसके बाद से यदि कोई अधिकारी निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवारत है तो उसे स्तंभ 2 में, उस

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित विनियम
स्पष्टीकरण	स्थान के सामने दी गई दर से ईंधन व पहाड़ी क्षेत्र भत्ता देय होगा :—
उस स्थान के सामने दी गई दर से ईंधन व पहाड़ी क्षेत्र भत्ता देय होगा :—	
तालिका	तालिका

स्थान	दर	स्थान	दर
(क) समुद्रतल से 1500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित कार्यालयों में	वेतन का 10% अधिकतम रु० 130/- प्र०मा०		वेतन का 5% अधिक
		(क) समुद्रतल से 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मरकारा कसबा पर स्थित कार्यालयों में	अधिकतम रू० 130/
(ख) समुद्रतल से 1000 मीटर और उससे अधिक परन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित कार्यालयों में	वेतन का 8% अधिकतम रु० 100/— प्र०मा०	(ख) समुद्रतल से 1500 मीटर और उससे अधिक परन्तु 3000 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित कार्यालयों में	वेतन का 6 1/2% अधिकतम रू०160/—
		(ग) समुद्रतल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 15% अधिकतम रू० 600/-

टिप्पणी :—

(क) अधिकारी जो 750 मीटर तक की ऊंचाई वाले स्थानों पर नियुक्त है जो ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां पर 1000 मीटर या उससे अधिक मीटर की ऊंचाई को पार किये बिना पहुंचा नहीं जा सकता है 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों में देय भत्ते की उसी दर से ही पर्वतीय एवं ईंधन भत्ता अदा किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आने वाले सभी केन्द्रों में इस समय अदा किया जा रहा पहाड़ी एवं ईंधन भत्ता अब अदा नहीं किया जाएगा। दिनांक 1-11-87 और 30-4-1989 के बीच पहले ही अदा किया गया भत्ता वसूल नहीं किया जाएगा। 1 मई 1989 के बाद से उस केन्द्र में नियुक्त सिर्फ उन अधिकारियों के मामले में पुराने प्रावधान के अनुसार 30 अप्रैल को अदा किए गए भत्ते की राशि तब तक अदा की जाती रहेगी, जब तक के उसी वेतनमान में उसी केन्द्र में नियुक्त रहेंगे।

25(1) किसी भी अधिकारी को बैंक द्वारा अधिकारिक रूप से आवास सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। फिर भी बैंक अधिकारी द्वारा दिनांक 1 फरवरी 1984 को या

दिनांक 1-11-1987 और उसके बाद से किसी भी अधिकारी को बैंक द्वारा अधिकारिक रूप से आवास सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। फिर भी बैंक अधिकारी

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित विनियम
उसके बाद उसके वेतनमान के, जिसमें वह कार्य कर रहा है, के पहले चरण के 10 प्रतिशत या आवास का मानक किराया इनमें से जो भी कम हो, के भुगतान पर आवासीय सुविधा प्रदान कर सकेगा ।	उसके वेतनमान के, जिसमें वह कार्य कर रहा है, के पहले चरण के 6 प्रतिशत या आवास का मानक किराया इनमें से जो भी कम हो, के भुगतान पर आवासीय सुविधा प्रदान कर सकेगा । यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसे आवास में फर्निचर उपलब्ध कराया गया हो तो बैंक अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम चरण के वेतन के 1½% के बराबर राशि और वसूल कर सकेगा ।
25(2) बैंक द्वारा जब आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है ब विद्युत, पानी, गैस तथा रख-रखाव का व्यय अधिकारी द्वारा देय होगा ।	बैंक द्वारा जब आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तब विद्युत, पानी, गैस तथा रख-रखाव का व्यय अधिकारी द्वारा देय होगा ।
34(1) अधिकारी उसके द्वारा पूर्ति की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 30 दिनों की बिमारी छुट्टी का पात्र होगा । यह छुट्टी 360 दिनों तक संचित की जा सकती है तथा बैंक को मान्य चिकित्सक अथवा बैंक के विवेकाधिकार पर उसके खर्चे पर मनोनीत चिकित्सक द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही ली जा सकती है ।	(1) दिनांक 1-1-1989 को और उसके बाद में एक अधिकारी उसके द्वारा पूर्ति की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 30 दिनों की बीमारी छुट्टी का पात्र होगा । लेकिन यह छुट्टी पूरे सेवा काल में अधिकतम 18 महीने की होगी और यह 540 दिनों तक संचित की जा सकती है तथा बैंक को मान्य चिकित्सक अथवा बैंक के विवेकाधिकार पर उसके खर्चे पर मनोनीत चिकित्सक द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही ली जा सकती है ।
(2) बीमारी छुट्टी की अवधि के लिए अधिकारी उसकी पूरी परिलब्धियों का आधा भाग प्राप्त करने का पात्र होगा । परन्तु यह कि अधिकारी की इच्छा पर उसको मंजूर की गई बीमारी छुट्टी के किसी भाग के लिए बैंक पूरी परिलब्धियों को छुट्टी अवधि की दुगनी-अवधि को बीमारी छुट्टी खाते के नामे डालकर उसे परिलब्धियां लेने की अनुमति दे सकता है ।	(2) बीमारी छुट्टी की अवधि के लिए अधिकारी उसकी पूरी परिलब्धियों का आधा भाग प्राप्त करने का प्राप्त होगा । परन्तु यह कि अधिकारी की इच्छा पर उसको मंजूर की गई बीमारी छुट्टी के किसी भाग के लिए बैंक पूरी परिलब्धियों की छुट्टी अवधि की दुगनी अवधि को बीमारी छुट्टी खाते के नामे डालकर उसे परिलब्धियां लेने की अनुमति दे सकता है ।
(3) बीमारी छुट्टी समाप्त होने पर फिर से कार्य पर आने के इच्छुक अधिकारी से बैंक यह अपेक्षा कर सकता है कि वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह कार्य पर आने के लिए स्वस्थ है ।	(3) बीमारी छुट्टी समाप्त होने पर फिर से कार्य पर आने के इच्छुक अधिकारी से बैंक ये अपेक्षा कर सकता है कि वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह कार्य पर आने के लिए स्वस्थ है ।
	(4) दिनांक 1-1-1989 से और उसके पश्चात यदि एक अधिकारी का सेवा काल 24 वर्ष का हो गया है तो वह 24 साल से अधिक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने के अतिरिक्त रुग्ण अवकाश के लिए पात्र होगा, लेकिन यह अतिरिक्त रुग्ण अवकाश अधिकतम 3 महीने का होगा ।
41(1) जब कभी किसी अधिकारी को कार्य पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है तब निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :—	बोर्ड द्वारा निश्चित दिनांक को और उसके पश्चात जब कभी किसी अधिकारी को कार्य पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है तब निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:—
(1) 2,925/– रुपए प्रतिमाह या उसके अधिक मूल वेतन पानेवाला कोई अधिकारी रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या हवाई जहाज से यात्रा कर सकता है । जब वह हवाई जहाज से यात्रा करता है तो वह इकानमि श्रेणी के	(1) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का एक अधिकारी गाड़ी से प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के शयनयान में यात्रा कर सकता है । कार्य की अत्यावश्यकता या जनहित को ध्यान में रखते हुए यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित विनियम
किराए का पात्र होगा, जब तक कि बोर्ड या कार्यकारिणी समिति के सामान्य या विशेष निर्णय द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो।	जाती है, वह किफायती श्रेणी ' हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर सकता है।
(2) 2,650/– रुपए प्रतिमाह और उससे अधिक लेकिन 2,925/– रूपए प्रतिमाह से कम मूल वेतन पाने वाला अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है। तथापि वह वातानुकूलित पहली श्रेणी से यात्रा कर सकता है अगर तय की जाने वाली दूरी 500 कि०मी० से अधिक है या रात में की जाने वाली यात्रा हो अथवा सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से हवाई जहाज से यात्रा कर सकता है। जब वह हवाई जहाज से यात्रा करता है तो इकानमि श्रेणी के किराए का पात्र होगा।	(2) मध्यक्रम प्रबंधन श्रेणी का एक अधिकारी गाड़ी द्वारा प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के शयनयान में यात्रा कर सकता है। यदि यात्रा की जाने वाली दूरी 500 कि०मी० से अधिक हो तो वह किफायती श्रेणी में हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर सकता है। कार्य की अत्यावश्यकता या जनहित को ध्यान में रखते हुए यदि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत किया जाता है, तो वह कम दूरी की यात्रा भी किफायती श्रेणी में हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर सकता है।
(3) 2,650/– रुपए प्रतिमाह से कम मूल वेतन पाने वाला अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है। तथापि, कारोबार की अनिवार्यताओं या लोकहित को ध्यान में रखते हुए, अगर सक्षम प्राधिकारी अनुमति देता है तो वह हवाई जहाज से यात्रा कर सकता है।	(3) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का एक अधिकारी वातानुकूलित प्रथम श्रेणी यान में गाड़ी द्वारा या किफायती श्रेणी में हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर सकता है।
(4) 2,925/– रुपए प्रतिमाह से अधिक मूलवेतन पाने वाला अधिकारी उन स्थानों के बीच कार द्वारा यात्रा कर सकता है जो हवाई जहाज या रेल सेवा द्वारा नहीं जुड़े है, बशर्ते कि दूरी 500 कि०मी० से अधिक न हो। फिर भी जहां दो स्थानों के बीच की दूरी का अधिकतर भाग हवाई जहाज या रेल द्वारा तय किया जा सकता है तो साधारणतया सिर्फ बाकी की दूरी ही कार द्वारा तय की जानी चाहिए।	(4) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का एक अधिकारी हवाई जहाज या रेल मार्ग से न जुड़े हुए स्थानों के बीच में कार द्वारा यात्रा कर सकता है परन्तु दूरी 500 कि०मी० से ज्यादा न हो। तथापि, जब दो स्थानों के बीच की अधिकांश दूरी हवाई जहाज या रेल द्वारा तय की जा सकती हो तब केवल शेष दूरी सामान्यतः कार द्वारा तय की जानी चाहिए।
(5) कारोबार की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी यह अधिकार दे सकता है कि वह अपने निजी वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करे।	(5) कारोबार को अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी यह अधिकार दे सकता है कि वह अपने किसी निजी वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करे।
45(2)(1) स्थानांतरित अधिकारी को निम्नलिखित सीमाओं तक मालगाड़ी से अपने सामान परिवहन करने के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।	दिनांक 1-11-1987 को और उसके पश्चात स्थानांतरित अधिकारी को निम्नलिखित सीमाओं तक मालगाड़ी से अपने सामान परिवहन करने के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वेतनमान	उसका परिवार रहने पर	उसका परिवार न रहने पर
रु०1175 प्र०मा०से रु०1825 प्र०मा०	3000 कि०ग्रा०	1000 कि०ग्रा०
रु०1826 प्र०मा० उससे अधिक	और पूरा वेगन	2000 कि०ग्रा०

वेतनमान	उसका परिवार रहने पर	उसका परिवार न रहने पर
रु०2100/–प्र०मा० से रु० 3060/–प्र०मा०	3000 कि०ग्रा०	1000 कि०ग्रा०
रु०3061/–प्र०मा० उससे अधिक	और पूरा वेगन	2000 कि०ग्रा०

वर्तमान विनियम	प्रस्तावित विनियम
48(2) बैंक इस भविष्य निधि में भविष्य निधि पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अंशदान देगा परन्तु यह अंशदान की राशि अधिकारी के मूल वेतन के 8 1/3% से अधिक नहीं होगी ।	बैंक इस भविष्य निधि में भविष्य निधि पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अंशदान देगा परन्तु यह अंशदान की राशि (1) 1-11-87 से और उसके बाद 31-12-88 तक वेतन के 80% के 10% (2) 1-11-89 को और उसके बाद 31-12-1989 तक वेतन के 90% के 10% (3) 1-1-90 को और उसके पश्चात अधिकारी के वेतन के 10% से अधिक नहीं होगी ।
49(2) अधिकारी को दी जानेवाली ग्रेच्युइटी की राशि प्रतिवर्ष पूर्ण सेवा के लिए एक महीने के वेतन के बराबर होगी जो कि अधिकतम 15 महीनों के वेतन के बराबर होगी । परन्तु यह कि जहां किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण की हो तो वह ग्रेच्युइटी के रुप में अतिरिक्त राशि का पात्र होगा, जो कि 30 वर्ष के पश्चात् पूर्ण किए गए प्रति वर्ष के लिए एक महीने के आधे वेतन की दर से होगी ।	अधिकारी को दी जाने वाली ग्रेच्युइटी की राशि प्रतिवर्ष पूर्ण सेवा के लिए एक महीने के वेतन के बराबर होगी, जो कि अधिकतम 15 महीनों के वेतन के बराबर होगी । परन्तु यह कि जहां किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण की हो तो वह ग्रेच्युइटी के रुप में अतिरिक्त राशि का पात्र होगा, जो कि 30 वर्ष के पश्चात पूर्ण किए गए प्रति वर्ष के लिए एक महीने के आधे वेतन की दर से होगी । टिप्पणी यदि सेवा के वर्ष पूरे होने के बाद सेवा का भाग छह माह या उससे अधिक है तो अवधि के यथानुसार ग्रेच्युइटी दी जाएगी ।

ह० अपठनीय
सहायक मुख्य अधिकारी
सहयोगी बैंक

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इन्डिया

नई दिल्ली–110002, दिनांक 6 मार्च, 1990

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 29–सी० ए०/लॉ/डी०/16/90—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम 1988 के विनियम 18 के साथ पठित चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स अधिनियम 1949 की धारा 20 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया की परिषद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण 1988 प्रकरण संख्या 6666 में उक्त अधिनियम की धारा 21 (6) (ग) के अनुसरण में दिनांक 5–3–90 को यह आदेश दिया है कि श्री एस० के० भौमिक, एफ० सी० ए०, मैसर्स एस० भौमिक एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टैन्टेस, 1, नेताजी सुभाष रोड़, (दूसरी मंजिल), कलकत्ता–700001 (सदस्यता संख्या 13196) के नाम को 12 मार्च, 1990 से एक महीने की अवधि के लिए चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स अधिनियम 1949 की धारा 22 तथा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 खण्ड (7) के साथ पठित धारा 21 के अभिप्राय: से व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाए जाने के कारण इस्टीट्यूट के सदस्यों के रजिस्टर से निकाल दिया जाए । तदनुसार एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री एस० के० भौमिक का नाम उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण, कलकत्ता के उक्त आदेश के अनुसार 12 जुलाई, 1990 से एक महीने की अवधि के लिए दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया के सदस्यों के रजिस्टर से पृथक रहेगा ।

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

दी इंस्टिट्च्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स
एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1990

सं० 18-सी० डब्ल्यू० आर० (207-212)/90—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस रेग्यलेशन्स 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इंस्टिटच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया के परिषद ने कहे गए रेग्युलेशन्स के विनियम 17 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए (1) श्री जी० एस० सुन्दर राजन, बी० काम, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, सिनियर कास्ट एकाउन्टस आफिसर, मद्रास अल्युनियम कं० लिमिटेड, पोस्ट बाक्स 4, मैटरडैम 636402 (एम०/12599), 15 नवम्बर 1989 से प्रभावित 1 (2) श्री प्रेमजी मिथुभाई मनसाली, बी० काम०, ए० सी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, कन्ट्रोलर आफ एकाउन्टस एण्ड फाइनेन्स, हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन क० लिमिटेड, कन्सट्रक्शन हाउस, बालचन्द हिराचन्द मार्ग, बल्लार्ड, स्टेट बम्बई-400038 (एम०/3014), 21 नवम्बर 1989 से प्रभावित 1 (3) श्री यादव राय अहुजा, एम० काम०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, कफिरोन्डा लिमिटेड, पी० ओ० बाक्स 40092, मुफुलीरा, जामबिया (एम०/3548), 22 नवम्बर 1989 से प्रभावित। (4) श्री आर० भोगेश्वर राव, बी० काम०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, डिपुटी जनरल मैनेजर (एफ), नाट ओनल अलमिनियम क० लिमिटेड कार्पोरेट फाइनेन्स डेपाट, आई० डी० सी० ओ० डावर्स, जनपथ भुवनेश्वर-751007 (एम०/1362), 22 नवम्बर 1989 से प्रभावित। (5) श्री मयक प्रभुम्बाशाह, बी० काम० एफ० सी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, डिपुटी चीफ एकाउन्टेन्ट, गुडडलैश नेरोलेस पेन्टस् लिमिटेड, गतपट राव कदम मार्ग, लोवर परेल, बम्बई-400013 (एम०/5563) 28 नवम्बर 1989 से प्रभावित। (6) श्री वी० सुब्रमनियन बी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 9ए/14, नीलकन्ट मेहता स्ट्रीट, टी० नगर, मद्रास-600017 (एम०/6731) 1 दिसम्बर 1989 से प्रभावित के नामों को सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया।

दिनांक 23 फरवरी, 1990

सं० 18-सी० डब्ल्यू० आर० (213-217)/90 दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस रेग्युलेशनस 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इनस्टिट्च्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया के परिषद ने कहे हुए रेग्युलेशन्स के विनियम 17 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए (1) श्री मयोर बिहारी लाल शाह, बी० एस० सी०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 18 प्रेम सागर, लिंकिंग रोड़, सन्तक्रुज (वेस्ट) बम्बई-400054 (एम०/5980), 2 नवम्बर 1989 से प्रभावित। (2) श्री बियुस थामस एम० काम०, एम० बी० ए०, (टेक्सेज), ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, असिस्टेन्ट मैनेजर (एफ) केरला स्टेट इलेट्रानिक्स डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ट्रीवेन्द्रम-695033 (एम०/5893), 22 नवम्बर 1989 से प्रभावित। (3) श्री जी० एस० सुन्दर राजन, बी० काम, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, सिनियर कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर, मद्रास अलुमिनियम क० लिमिटेड, पोस्ट बाक्स 4 मेटूर दुम 636402 (एम०/2599) 20 नवम्बर 1989 से प्रभावित। (4) श्री अम्बा प्रसाद मुखर्जी, बी० एस० सी०, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, डाइरेक्टर प्लीरलेश जेनरल फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट क० लिमिटड, पार्क सेन्टर, थर्ड फ्लोर, 24 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700016 (एम०/562), 1 फरवरी 1990 से प्रभावित। (5) श्री जे० एस० कामेश्वर राव, बी० काम०, एफ० सी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 1-1-582, गांधी नगर, नियू बकरम, हैदराबाद-500 080 (एम०/489), 16 अगस्त 1989 से प्रभावित के नामों को सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया।

प्रवीर बोस,
कृते सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च, 1990

सं० यू०-16/53/89-चि० 2(कर्नाटक)—कर्मचारी राज्य बीमा साधारण विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या: 1024(जी) दिनांक: 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा बंगलौर के डा० टी० एस० आनन्थ को दिनांक 1-4-1990 से 20-11-1990 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संविग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हू।

डा० के० एम० सक्सेना
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च, 1990

सं० एन०-15/13/15/3/80—योजना एवं विकास (2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-3-90 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पश्चिम बंगाल कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पश्चिम बंगाल राज्य के निम्नलिखित

क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे।

अर्थात्

"हल्दिया के अधिसूचित क्षेत्र"

ए० सी० जुनेजा,
निदेशक (योजना एवं विकास)

वाणिज्य मंत्रालय

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 21 सितम्बर 1989

आदेश

विषय--संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के खंड 9(1) (ए) एवं (डी) के अनुसार लाइसेंस का रद्द करना।

संदर्भ -- मैसर्स पी० भूषण एंड कं०, बम्बई-400 093 को जारी किए गए 97,27,200 रुपए के अग्रिम लाइसेंस पी०/एल०/3255475 दि० 30-6-89 एवं डी० ई० ई० सी० बुक नं० 029386 दि० 30--6--89 को निलंबित करने के आदेश।

सं० फा० नं० ए० डी०बी०/यू० डी० ई० एस०/52/5575/ए० एम०/90/एल०/ए० एल० एस०--7--मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग बैठक की सिफारिश पर शुतक छूट योजना के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ता की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त फर्म के एम० एस० लो कार्बन डिफेक्टिव सी० आर० सी० ए० शीटस/कटिंग/कॉइल्स 18 70. 611 के आयात के लिए रु० 97,27,200 मूल्य का दि० 30-6-89 को अग्रिम लाइसेंस नं० पी०/एल० 3255475 जारी किया गया था।

2. फर्म के मालिक ने शिकायत की है कि उपर्युक्त लाइसेंस के दुरूपयोग के लिए कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसके शीर्षनामे पर जाली हस्ताक्षर करके सांताक्रुज के सिंडीकेट बैंक में उनकी फर्म के नाम से खाता खोला है।

3. प्रारम्भ से ही उपर्युक्त लाइसेंस के रद्द करने के लिए क्यों नहीं कहा गया, इसके लिए दि० 14-9--89 को फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं उनसे 7 दिन के अन्दर जवाब मांगा गया तथा दि० 26-9--89 को वैयक्तिक सुनवाई का अवसर भी दिया गया।

4. फर्म का मालिक दि० 20-9-89 को वैयक्तिक सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ एवं उसे दुबारा फोन पर वैयक्तिक सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान किया गया। वह दि० 21-9-89 को वैयक्तिक सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ एवं उसने फिर निवेदन किया कि कुछ लोगों ने उसके शीर्षनामे पर उसके जाली हस्ताक्षर किया हैं।

मैं सहमत हूं एवं उपरलिखित बातों से स्पष्ट है कि लाइसेंस जिस प्रयोजन के लिए जारी किया गया था, वह पूरा नहीं हो रहा है। मैं 1955 के आयात (नियन्त्रण) आदेश के खण्ड 9 (1) (ए) एवं (डी) के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार मैसर्स पी० भूषण एवं कं०, डी-16, उद्योग सदन नं० 2, एम० आई० डी० सी० मैरोल, अंधेरी (ईस्ट), बम्बई-400 093 को जारी लाइसेंस नं० पी०/एल०-3255475 एवं डी०ई० ई० सी० नं० 29386 दि० 30-6--89 को शुरू से ही एतद्द्वारा रद्द करता हूं एवं सीमा शुल्क द्वारा पूर्ण रूप से माल की निकासी एवं आयात को निष्फल एवं अमान्य करार देता हूं।

एस० एल० गाडे
उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

मैसर्स पी० भूषण एवं कंपनी,
डी-16, उद्योग सदन नं० 2,
एम० आई० डी० सी० परोल,
अंधेरी (ईस्ट),
बम्बई-400 093।

आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति प्रेषित--

1. प्रबंधक,
सिंडीकेट बैंक,
बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय,
कफ परेड, कुलाबा,
बम्बई-400005।

2. प्रबंधक,
सिंडीकेट बैंक,
सांताक्रुज शाखा,
बम्बई।

3. रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई।

4. सभी पत्तन कार्यालयों को/सभी सीमा शुल्क प्राधिकारियों की आवश्यक कार्रवाई के लिए।

के० जे० शिवडीकर,
नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

वित्त मंत्रालय,

राजस्व विभाग

सीमा शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

बंगलौर, दिनांक 22 फरवरी 1990

संदर्भ सं०नं० VIII/17/202/89 सी० शु० विधि:—सीमा शुल्क (नाम का प्रकाशन) नियम 1975 के नियम 3(1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अन्तर्गत दोषसिद्ध व्यक्ति का नाम और विवरण नीचे संलग्न सारणी में प्रकाशित करता हूं।

क्रम सं०	दोषसिद्ध व्यक्ति का नाम और पता	अपराध का स्वरूप	दण्डादेश अधिनियम आपराधिक करने वाले न्यायालय का नाम	मामला सं०	दोषसिद्धि की तारीख	अधिनिर्णीत दण्ड के विवरण
1.	संजय बापू माली, मार्फत शहाजी अप्पाजी पाटील, एच० नं०16, थटद्वारा स्ट्रीट, पोस्ट: करियाकल, पाण्डिचेरी या श्री संजय बाबू माली, मार्फत ब पूतुकाराम माली, गौंवपारे तालुक : खानापुर, जिला : सांगली, महाराष्ट्र	विदेशी मूल के स्वर्ण के तीन रद्दोबदल टुकड़े के साथ जिनका वजन 198.5 ग्राम मूल्य 39,700 रु० है उन्हें किसी भी अन्य प्रकार से व्यवहार करने अथवा सुपुर्दगी में रखने, ले जाने, छिपाने, खरीदने से सम्बन्ध जिसे वह जानता था अथवा ऐसा उचित विश्वास के लिये कारण था, सी० शु० अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 111(डी) के अधीन जब्ती के योग्य है।	III अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेलगांव।	सी०सी०नं० 3-7-89 907/88	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 (1) (बी) (ii) के अधीन अपराध दण्डनीय सिद्ध हुआ और 1,750 रूपये जुर्माना देने का दण्डादेश हुआ और संदाय के अभाव में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन 15 दिनों का साधारण कारावास।

जे० पी० कौशिक
समाहर्ता सीमा शुल्क,
बंगलौर

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 फरवरी 1990

शुद्धिपत्र

सं० पी-4/1(8)/89-एच० बी० ए०—दिनांक 16 दिसम्बर, 1989 को भारत के राजपत्र, भाग-,III खंड-4 में प्रकाशित अधिसूचना सं० पी-4/1(8)/89 एच० बी० ए०-457 में,

1. प्रथम पैरा में "सं० पी०-II/1(8)/89-एच० बी० ए०-457" के स्थान पर "सं० पी०-4/1(8)/89-एच० बी० ए०-457" पढ़ें।

2. पैरा 2 के उप-पैरा (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द "अब" के स्थान पर शब्द "जब" पढ़ें।

3. पादनोट के अंतर्गत,

(1) क्रम संख्या 12 में शब्द "सा०नि०का०" के स्थान पर शब्द "सा० का० नि०" पढ़ें।

(2) क्रम संख्या 14 में "दिनांक 24-12-1987" के स्थान पर "दिनांक 24-12-1977" पढ़ें।

(3) क्रम संख्या 16 में शब्द "भाग-II" के स्थान पर शब्द "भाग-III" पढ़ें।

दिनांक 5 मार्च 1990

सं० केभ० नि० आ० /1 (4) तमिलनाडु (104) 90/2449:—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गये हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध

अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायेंगे।

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3
1.	मै० कान्नुमेकीपटटी प्राईमरी कोआपरेटिव बैंक, काम्नुमेकीपट्टी, गुजिलीयाम पराई पोस्ट, वेदसन्दूर तालुक, तमिलनाडु (टी० एन०–24023)	31–8–89
2.	मै० वीमस विद्यालय इंगलिश मिडियम स्कूल, बालु उडयार स्ट्रीट, बन्दावासी–604400 एन० ए० जि० (टी० एन०/22813)	1–9–88
3.	मै० ग्राफिक इम्प्रेशन्स, 55, लैंग्स गार्डन रोड, मद्रास–2 (टी० एन/23223)	1–3–89
4.	मै० दादा गैस एजेन्सी, 28, माधवराम हाई रोड, (नार्थ) पेराम्बूर, मद्रास–II, और गोडाउन 2–ए राजा स्ट्रीट, मद्रास–1 में स्थित (टी० एन/23180)	1–1–89
5.	मै० शिवा इंजीनियरिंग, 5 बी० एच० ई० एल० एनसीलरी एस्टेट, रानीपेट–6 (टी० एन/23280)	1–12–88
6.	मै० ए० आर० इलैक्ट्रीकल सर्विसिज, 42, जानकीराम कालोनी, अरूप्पाक्कम, मद्रास–106 (टी० एन/23297)	1–1–89
7.	मै० कमला ट्रेडर्स, 1, करूर रोड, डीडीगल–624004 (टी० एन/20900)	28–2–89
8.	मै० थर्मो फेब, न० 22, मेलपट्टी, पोन्नप्पा, मुदाली स्ट्रीट, व्यापारपडी, मद्रास–39 (टी० एन/23116)	1–11–88
9.	मै० महारानी साड़ीज, 146, मैन रोड, डीन्डीगल–624001 (टी० एन/20903)	31–3–89
10.	मै० महाराजा सिल्क हाउस, 146, मेन रोड, डीन्डीगल–1 (टी० एन/20904)	31–3–89
11.	मै० हिन्दुस्तान हैवी इलैक्ट्रीकलस, पोस्ट बाक्स नं० 2044, नं० 66, आवाराम पलायाम रोड, आर०के पुरम, कोयम्बटूर–6 (टी० एन०/21945)	1–4–89
12.	मै० बी० मुथु, 31, थीरुपल्ली स्ट्रीट, मद्रास–79 (टी० एन०–23111)	1–11–88
13.	मै० बी० एस० आर० एन्टरप्राइजेज, नं० 24, राजाजी स्ट्रीट, माठियालाकम नगर, पड़ी, मद्रास–50 (टी० एन० 23115)	1–11–88
14.	मै० यूनाइटेड इण्डस्ट्रीयल इंजीनियर्स, 32, वर्कशाप रोड, पी० बी० नं० 88, मदुरै–1, और इसका सेल्स आफिस, 35–ए, वर्कशाप रोड, मदुरै–1 (टी० एन० 20962)	1–6–89
15.	मै० शक्ति इंजीनियरिंग, प्लाट न० 57, सीडको इण्डस्ट्रीयल एस्टेट मुकन्द्रायापु म, रानीपेट–632406 (टी० एन० 22790)	1–8–88
16.	मै० दी० प्रीमियर टेनर्स, पेरियावरिक्कम विलेज, 51, एम० सी० रोड, अम्बूर, एन० ए० जि–635802 और इसकी शाखा 138, बी० एच० रोड, पेरियम्मेट, मद्रास–3 (टी०एन० 22846)	1–9–88
17.	मै० श्री शक्ति इंडस्ट्रीज, 37/5, वेलायूधन रोड, शिवाकासी और इसका कार्यालय 43-बी विलायुधम रोड, शिवकाशी–626123 (टी० एन० 20894)	1–3–89
18.	मै० मीनाक्षी मैट्रीकुलेशन स्कूल, 744, टी० एच० रोड, मद्रास–81 (टी० एन० 22830)	1–8–88
19.	मै० आर० एण्ड आर० एन्टरप्राइजेज, त्रिची, डीन्डीगल, मेन रोड, बाड़ा मदुराई–624802 और इसका गोडाउन एस० एफ० 1484, त्रिची डीन्डीगल रोड, बाडा मदुराई (टी० एन 24022)	1–8–89
20.	मै० भुवाना यार्नडाईंग (प्रा०) लिमिटड, 35–4 थी, क्रास, कारूनंगल पट्टी, सेलम–6 और इसका पंजीकृत कार्यालय 37 ए, सिवानार मैन रोड, गुजई सेलम–636006 (टी० एन० 21771)	1–1–89
21.	मै० श्री विद्यालयम मैट्रीकुलेशन हायर सैकन्ड्री स्कूल, 44 ए, पार्थसारथी स्ट्रीट, एस० एस० कालोनी, मदुराई–16। (टी० एन० 20782)	1–12–88

1	2	3
22.	मै० वैथियानाथपुरम प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक, पैरयाकुलम (टी० एन/20828)	1-1-89
23.	मै० मीनाम्बिका एण्ड कम्पनी, 86-सी, मुदरई, रोड, बेगमपुर, डीन्डीगल-624002 (टी० एन/24024)	1-9-89
24.	मै० एलियास ट्रांसपोर्टस, 12-बी/4, शिवालापेरी रोड, पलायामकोटाई-637002 (टी० एन/20305)	1-9-86
25.	मै० पोली प्रिन्ट इण्डस्ट्रीज, 104, नेलसन मनीका मुदालियर रोड, मद्रास-29 (टी० एन/23001)	1-11-88

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है ।

सं. 2/1959/बी. एस. आई./एक्जाम/89/भाग-I/2488—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोमा, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-1

क्षेत्र- कर्नाटक

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	फ० संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	मैसर्स ओमेगा ड्रिलिंग, 80, विजय नगर, एक्सटेंशन, हुबली-580032 (कर्नाटक) ।	के० एन०/667	1-10-1988	2/2374/90 डी० एल० आई०
2.	मैसर्स कृष्णा ग्रामीण बैंक, प्लाट नं० 6 एन० बी० लेआउट, गुलबर्ग-585103 (कर्नाटक)	के० एन०/7871	1-3-1989	2/2372/90 ,,
3.	मैसर्स सुबेना डीजल, विद्यानगर, पी० बी० रोड, हुबली-580031 (कर्नाटक)	के० एन०/10192	1-10-1988	2/2375/90 ,,
4.	मैसर्स श्री श्री इण्डस्ट्रीज, नं० 538, पुराना मद्रास रोड, डोरावानी नगर, बंगलौर-560016	के० एन०/11474	1-11-1988	2/2376/90 ,,
5.	मैसर्स मीवेन मेफान कन्वेयरस लि०, सिरूरस कम्पाउण्ड, करीवर रोड, हुबली-580024	के० एन०/11511	1-2-1989	2/2373/90 ,,

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-I/2483—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए स्कीम के संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-1

क्षेत्र : राजस्थान ।

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि के० आ० फाईल नं०
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मैसर्स मण्डोर विकास मण्डल, माधोबाग, हरिजन बस्ती, जोधपुर ।	आर० जे०/658	1-9-88 2/2276/89-डी०एल० आई०
2.	मैसर्स राजस्थान प्रदुषण निवारण नियंत्रण मण्डल, जे-2/35, महाबीर मार्ग, जयपुर ।	आर० जे०/2085	1-3-88 2/2404/80 ,,
3.	मैसर्स सेंट एन्सलयस प्राइमरी स्कूल, अजमेर ।	आर० जे०/3263	1-1-89 2/2405/90 ,,
4.	मैसर्स फ्लोटो टैक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग कं० एच० एम० टी० इण्डस्ट्रियल एरिया, अजमेर ।	आर० जे०/3877	1-12-88 2/2406/90 ,,

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 1990

सं. 2/1959/बी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/2499—जहां मैसर्स इण्डियन एल्युमिनियम कम्पनी लि. पो. लोहारडागा, डिस्ट्रीक लाहारडागा, बिहार (कोड संख्या : बी. आर/936) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस-35014 (266)86/एस. एस. 11 तिथि 16-12-86 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 16-12-89 से 15-12-92 तक लागू होगा। जिसमें यह तिथि 15-12-92 भी शामिल है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/2504.—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची–1

क्षेत्र : पश्चिम-बंगाल

क्रम संख्या	स्थापना का नाम व पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	मैसर्स बाल कृष्ण लाल पोद्दार प्रा० लि०, 32, चौरंघी रोड, कलकत्ता–700071	डब्ल्यू० बी०/6241	1–3–89	2/2393/90–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स यूनाइटेड एजेन्सीज, 32, चौरंघी रोड, कलकत्ता–700016	डब्ल्यू० बी/12001	1–3–89	2/2392/90 ,,

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना

नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई/एक्जाम/89/भाग-1/2511—जहां मैसर्स त्रिचूर डिस्ट्रीक्ट कोआपरेटिव अस्पताल लि., शोरनूर रोड़ त्रिचूर-680001 (कोड सं. के.आर/4515) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केरल स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए 1-6-88 उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम का धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्यय का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/2522—जहां मैसर्स बोलानी ओरस माइन्स, पो. आ. बोलानी, क्योन्झार (कोड सं. ओ. आर./80) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस-35014(2)82/एस. एस.-II तिथि 31-1-86 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 31-1-89 से 30-1-92 तक लागू होगी। जिसमें यह तिथि 30-1-92 भी शामिल है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/2516—जहां मैसर्स कैडिला लैब्रोटरिज प्रा. लि. 294, जी. आई. डी. सी. इण्डस्ट्रीयल स्टेट, अंकलेश्वर, गुजरात । (कोड संख्या : जी. जे/1357-ए) ने अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस-35014(83)पी. एफ. II (एस. एस. II) तिथि 28-1-88 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जो दिनांक 22-10-89 से 21-10-92 तक लागू होगा। जिसमें यह तिथि 21-10-92 भी शामिल है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिश/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/2527.—जहां मैसर्स श्रीमल इण्डिया लि., (पहले यूनिवर्सल इलैक्ट्रीक्स लि.) डी. एच. रोड, पो. जोका, 24 परगना पश्चिम बंगाल (कोड संख्या डब्ल्यू. बी/11676) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस-35014 (76)85/एस. एस.-IV तिथि 27-3-85 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, वी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 27-3-88 से 26-3-91 तक लागू होगा । जिसमें यह तिथि 26-3-91 भी शामिल है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/2533—जहां मैसर्स दी टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि., जमशेदपुर बिहार (कोड सं. ओ.आर/53, 54, 55ए, 56, 55सी, 55डी, 232ए, 232सी, 748, 60बी, 61, 1238, 60, 801 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, वी.एन.सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदागगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 4-6-1988 से 3-6-1991 तक लागू होगा। जिसमें यह तिथि 3-6-1991 भी शामिल है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/2493.—जहां मैसर्स इस्ट इण्डिया फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि., 6, लिटिल रसल स्ट्रीट, कलकत्ता-71 (कोड सं. डब्ल्यू. बी./1152) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 9-9-88 से 8-9-91 तक लागू होगा। जिसमें यह तिथि 8-9-91 भी शामिल है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-ख के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 9 मार्च 1990

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/2698.—जहां अनुसूची-। में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची

क्षेत्र : मद्रास

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल नम्बर
1.	मैसर्स प्रैस इक्युपमेंट एण्ड प्रोडक्ट्स कं०, कार्यालय–23, वैस्ट काट रोड, रोयापेट, मद्रास–600014	टी० एन०/3950	1–3–1988	2/2256/89–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स, ईको पैक प्रा० लि० 2, डा० नायर रोड, टी० नगर, मद्रास–600017	टी० एन०/19695	1–3–1989	2/2415/89–डी० एल० आई०

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'नियोजक' कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबंध लाभ बढ़ाये जाते है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो वह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई. एक्जाम/89/भाग-I/2693.—जहां मेसर्स स्पन इण्डिया (प्रा.) लि., 227, औखला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फस-III, नई दिल्ली-110 020 (फ्रोड संख्या : डी. एल./4649) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी.एन.सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन को छूट देता हूं (दिनांक 1-8-1986 से 31-7-1989 तक) ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत संखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, संखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

STATE BANK OF INDIA
ASSOCIATE BANKS DEPT.
(CENTRAL OFFICE)
Bombay-400021, the 28th Febuary 1990

ANNEXURE

EXISTING REGULATION	PROPOSED AMENDMENT
Regulation 63	Regulation 63
No. SBD/667.—No officer shall, except with the previous sanction of the Managing Director, have a recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character.	No officer shall, except with the previous sanction of the Managing Director, have a recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character.
Provided that nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an officer from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity.	Provided that nothing in this Regulation shall be deemed to prohibit an officer from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the officer shall submit a report to his immediate superior within a period of 3 months from the date such action is taken by him.

No. SBD/840.— The 14th March 1990

EXISTING REGULATIONS	PROPOSED REGULATIONS
3. (k) "Pay" means basic pay;	"Pay" means basic pay including stagnation increments;
(m) "Salary" means the aggregate of basic pay and dearness allowance;	"Salary" means the aggregate of the pay and dearness allowance;
4(1) On and from the 1st February 1984, there shall be the following four grades for officers with the scales of pay specified against each of the grades :	On and from the 1st February 1984, there shall be the following four gades for officers with the scales of pay specified against each of the grade :
(a) Top Executive Grade :	(a) Top Executive Grade :
Scale VII . . . Rs. 4100-125-4600	Scale VII . . . Rs. 4100-125-4600
Scale VI . . . Rs. 3850-125-4350	Scale VI . . . Rs. 3850-125-4350
(b) Senior Management Grade :	(b) Senior Management Grade :
Scale V . . . . Rs. 3575-110-3685-115-3800	Scale V . . . . Rs. 3575-110-3685-115-3800
Scale IV . . . Rs. 22925-105-3450	Scale IV . . . Rs. 2925-105-3450
(c) Middle Management Grade :	(c) Middle Management Grade :
Scale III . . . Rs. 2650-100-3250	Scale III . . . Rs. 2650-100-3250
Scale II . . . . Rs. 1825-100-2925	Scale II . . . . Rs. 1825-100-2925
(d) Junior Management Grade :	(d) Junior Management Grade :
Scale I . . . . Rs. 1175-60-1475-70-1895-EB-95-2275 100-2675	Scale I . . . . Rs. 1175-60-1475-70-1895-EB-95-2275-100-2675
Provided that every officer who is governed by the scale of pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines issued under Regulation 8, shall be fitted in the scale of pay set out above in accordance with the State Bank's guidelines.	On and from 1-11-1987 the scales of pay specified against each grade shall be as under :—
	(a) Top Executive Grade :
	Scale VII . . . Rs. 6400-150-7000
	Scale VI . . . Rs. 5950-150-6550
	(b) Senior Management Grade :
	Scale V . . . . Rs. 5350-150-5950
	Scale IV . . . Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350
	(c) Middle Management Grade :
	Scale III . . . Rs. 4020-120-4260-130-4910
	Scale II . . . . Rs. 3060-120-4260-130-4390
	(d) Junior Management Grade :
	Scale I . . . . Rs. 2100-120-4020
	Provided that every officer who is governed by the scale of pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines issued under Regulation 8, shall be fitted in the scale of pay set out above in accordance with the State Bank's guidelines.
5(1) The increment specified in the various scales of pay set out in regulation 4 shall, subject to the sanction of the competent authority, accrue on an annual basis and shall be effective on the first day of the month in which it falls due.	On and from the 1st November 1987, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—
	(a) The increments specified in the scales of pay set out in regulation 4(1) shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an

EXISTING REGULATIONS	PROPOSED REGULATIONS
Provided that where an officer is promoted from one grade or scale to another and the quantum of increase in the salary as a result of promotion is not more than the increase in the salary that he would have drawn at the next stage in the previous grade or scale, than he will be permitted to draw his increment in the new grade or scale in the same month in which he would have drawn his increment in the previous grade or scale instead of on the anniversary date of promotion.	annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.
Provided that on and from 1st January 1985 those officers in Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scale II and III who reached the maximum of their pay scale shall be granted stagnation increments equivalent to the last increment for every five completed years of service after reaching the maximum in the respective scale, subject to a maximum of two such increments for officers in Junior Management Grade Scale I and one such increment for officers in Middle Management Grade Scale II and III. In case of those officers who have completed more than 5 years of service at the maximum of the respective scales the first such stagnation increment will be granted effective from the date on which it falls due or fom 1st January 1985, whichever is later, but the second such increment shall be granted to those eligible not earlier than 1st January 1987.	(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar. (c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 130/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 140/- for officers in the last stage of Scale III.
5(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of CAIIB examination on or after the 1st October 1979.	*Note* : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges ,perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.
Provided that on and from 1st February 1984, those officers who have reached the maximum of their pay scales, professional qualification allowance of Rs. 100/- p.m. shall be granted for passing Part I of CAIIB examination after they complete one year at the maximum in the scale of pay and Rs. 200/- p.m. for passing both parts of CAIIB Examination after they complete two years at the maximum in the scale of pay.	On and from 1-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to *State Bank's guidelines*, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—
	Those who have passed only part I of CAIIB — Rs.100/- p.m after 1 year of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
	Those who have passed both parts of CAIIB — (i) Rs. 100/- p.m. after 1 year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits. (ii) Rs. 250/- p.m. after 2 years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.
Explanation II No increments in consideration of passing CAIIB Examination would be granted after an officer has reached the maximum of the scale of pay.	*Note* : If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale he shall be granted, on fitmen into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).
21. On and from the 1st February 1984, Dearness Allowance shall be payable to an officer when the All India Working Class Consumer Price Index goes beyond 332 (base 1960=100). Such Dearness Allowance including the rate of neutralisation, frequency of adjustments, blocks for which it should be payable and the ceiling on pay plus dearness allowance shall be determined from time to time by the Board or the Executive Committee in accordance with the State Bank's guidelines.	On and from 1-11-1987, Dearness Allowance scheme shall be as under :—
	(i) Dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.
	(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—
	(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 1650/- plus,
	(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 1650/- to Rs. 2835/- plus,
	(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 2835/- to Rs. 4020/- plus,
	(iv) 0.17% of 'Pay' above Rs. 4020/-.
(The existing guidelines issued under Regulation 21 stands deleted in view of the proposed Regulation).	

EXISTING REGULATIONS

22(1) On and from the 1st February 1984, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, 10% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(2) On and from the 1st February 1984, where an officer is not provided with residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for house rent allowance being a sum equivalent to the excess of the actual rent paid by him for his residential accommodation over 10% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, such sum being subject to the following rates :—

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' class cities specified as such from time to time by the *Executive Committee in accordance with the State Bank's guidelines and Project Area Centres in Group 'A'.	17½% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 500/-p.m.
(ii) Area I not covered by item (i) above and Project Area Centres in Group 'B'.	15% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 400/- p.m.
(iii) Area II and State Capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above.	12½% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.
(iv) Area III	10% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 250/- p.m.

Note : House Rent Allowance as above shall be paid on production of rent receipts, except that an officer may claim house rent allowance on certificate basis at the above rates subject to maximum as under :—

Major 'A' Class Cities and Project Area Centres in Group 'A'.	Maximum Rs. 275/-
Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	Maximum Rs. 225/-
Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories.	Maximum Rs. 165/-
Area III	Maximum Rs. 110/- (Fixed).

22(3) When an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a house rent allowance on the same basis as mentioned in sub-regulation (2) above as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one-twelfth of the higher of A or B below :—

A

The aggregate of :—

(i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation, including the cost of the land and if the accommodation is a part of the building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air-conditioners, or

PROPOSED REGULATIONS

On and from 1-11-1987, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank 6% of the pay in first stage of the scale of pay in which he is pleased or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

On and from 1-11-1987, where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' class cities specified as such from time to time in accordance with State Bank guidelines and Project Area Centres in Group 'A'.	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 375/-
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	12% of the pay subject to a maximum of Rs. 300/-.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above.	10% of the pay subject to a maximum of Rs. 250/-
(iv) Area III.	8% of the pay subject to a maximum of Rs. 225/-.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, with a maximum of 160% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise.

Where an officer resides in his own accommodation, he shall be eligible for a house rent allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one-twelfth of the higher of A or B below :—

A

The aggregate of :—

(i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation, including the cost of the land and if the accommodation is a part of the building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air-conditioners or

EXISTING REGULATION	RROPOSED REGULATION
B	B
The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.	The annual rental value taken for municial assessment of the accommodation.
Explantion	*Explanation*
(1) For the purposes of the aforesaid provisions, standard rent shall mean—	(1) For the purpose of this Regulation "standard Rent" means :—
(i) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government.	(a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;
(ii) Where accommodation has been hired by the Bank, the contractual rent payable by the Bank.	(b) Where accommodation has been hired by the Bank, contractual rent payable by the Bank.
(2) In this regulation and in regulation 23, Area I, Area II and Area III shall have the same meanings as have been accepted for the purposes of service conditions of the workmen staff in the Bank.	
23(i) On and from 20-8-1988, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place.	On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place,
	Provided that the city compensatory allowance at places in the State of Goa other than urban agglomeration of Panaji and Marmugao, where it was not payable on 1-11-1987 shall be payable with effect from 20-8-1988.

Places (1)	Rates (2)	Places (1)	Rates (2)
(A) Places in Area I and in the State of Goa.	10% of basic pay subject to a maximum of Rs. 200/- per month.	(A) Places in Area I and in the State of Goa.	6½% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month.
(B) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (A) above.	6% of basic pay subject to a maximum of Rs. 120/- per month.	(B) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (A) above.	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 135/- per month.

23(v) On and from 1st February 1984, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay draw a deputation allowance of 15% of pay and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place.	On and from 1st November 1987, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 12% of pay maximum Rs. 700/- and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place.
Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 7½% of his pay.	Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 6% of his pay maximum Rs. 350/-.
Provided further that an officer on deputation to the Training Establishments of the Bank as a factulty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 7½% of his pay subject, however, that an officer on deputation to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for such deputation allowance with effect from 29th October 1985 and not earlier.	Provided further that an officer on deputation to the Training Establishments of the Bank as a faculty member or to Banking ervice Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6% of his pay maximum Rs. 350/-.
23(vi) On and from 1st January 1985 if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 10% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund and not for other purposes.	On and from 1st November 1987 if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- p.m. for the period for which he officiaes. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund and not for other purposes.
Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.	Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale.as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

EXISTING REGULATION	PROPOSED REGULATION
23(vii) If an officer is directly engaged in the work relating to the closing of accounts or if he is required to do extra work arising out of such closing of accounts, a closing allowance of Rs. 150/- per every half year.	On and from financial year 1989-90 if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September a closing allowance of s. 150/- for each of the two closings.
23.(x) On and from 1st January 1985 if an officer is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place :	On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof.

TABLE

Places (1)	Rates (2)
Offices at altitudes of and over 1500 metres above Mean Sea Level	10% of pay subject to a maximum of Rs. 130/- p.m.
Offices at altitudes of and over 1000 metres but below 1500 metres above Mean Sea Level.	8% of pay subject to a maximum of Rs. 100/- p.m.

TABLE

Places (1)	Rates (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	5% of pay subject to a maximum of Rs. 130/-
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	6½% of pay subject to a maximum of Rs. 160/-
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above.	15% of pay subject to a maximum of Rs. 600/-

Note : (a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with and altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and fuel allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. The allowance already paid between 1-11-87 and 30-4-1989 shall not be recovered. From 1st May, 1989, on-wards the quantum of allowance paid as on 30th April under the old provisions alone shall be protected in the case of officers posted at that centre on or before that date till the time they remain posted at that centre in the same scale of pay.

25. (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on and from the 1st February 1984 on payment by the officer of 10% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less.

On and from the 1st November 1987, no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less.

(2) Where residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

Provided that a further sum equal to 1½% of pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from an officer if furniture is provided at such residence. Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

34(1) An officer shal be leligible to 30 days of sick leave for each completed year of service. Such leave can be accumulated upto 360 days and may be availed of only on production of medical certificate by a medical practioner acceptable to the Bank, or, at the Bank's discretion, nominated by it at its cost.

(1) On and from 1-1-1989 an officer shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service and may be availed of only on production of medical certificate by a medical practioner acceptable to the bank or at the Bank's discretion nominated by it at its cost.

(2) In respect of the peroid of sick leave, an officer shall be eligible to receive one half of the full emoluments.

(2) In respect of the period of sick leave, an officer shall be eligible to receive one half of the full emoluments.

Provided that if an officer so desires, the Bank may permit him to draw full emoluments, in respect of any portion of the sick leave granted to him, twice the amount of such period on full emoluments being debited against sick leave account

Provided that if an officer so desires, the Bank may permit him to draw full emoluments, in respect of any portion of the sick leave granted to him twice the amount of such period on full emoluments being debited against sick leave account.

(3) The Bank may require any officer desiring to resume duty on the expiry of sick leave, to produce medical certificate saying that he is fit for duty.

EXISTING REGULATION	PROPOSED REGULATION
	(3) The Bank may require any officer desiring to resume duty on the expiry of sick leave, to produce medical certificate saying that he is fit for duty.
	(4) On and from 1-1-1989 where an officer has put in a service of 24 years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year to service in excess of 24 years subject to a maximum of three months of additional sick leave.
41(1) The following provisions shall apply where an officer is required to travel on duty :—	On and from the date specified by the Board, the following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty :—
(i) An officer drawing a pay of Rs. 2925/- p.m. and above may travel by train AC first class or by air. Where he travels by air, he shall unless otherwise provided by a general or special decision of the Board or the Executive Committee be eligible only for economy class fare.	(i) An officer in Junior Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigences of business or public interest.
(ii) An officer drawing a pay of Rs. 2650/- p.m. and above but less than Rs. 2925/- p.m. may travel by first class by train. He may, however, travel by AC first class if the distance to be travelled is more than 500 Kms. or an overnight journey is involved or with the prior permission of the Competent Authority by air. Where he travels by air, he shall be eligible only for economy class fare.	(ii) An officer in Middle Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kms. He may, however, travel by air (economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.
(iii) An officer drawing a pay of less than Rs. 2650/- p.m. may travel by first class by train. He may, however, travel by air, if so permitted by the competent authority, having regard to the exigencies of business or public interest.	(iii) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by train AC 1st Class or by air (economy class).
(iv) An officer drawing a pay of Rs. 2925/- p.m. and above may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 Kms. However, when a major part of the distance between the two placse can be covered by air or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car.	(iv) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kms. However when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.
(v) Any other officer may be authorised by the competent authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.	(v) Any other officer may be authorised by the competent authority having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.
45(2)(i) An officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :—	On and from 1-11-1987, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :—

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 1175/- p.m. to Rs. 1825/- p.m.	3000 kgs.	1000Kgs.
Rs. 1826/- p.m. and above	Full wagon	2000 Kgs.

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 2100/- p.m. to Rs. 3060/- p.m.	3000 Kgs.	1000 Kgs.
Rs. 3061/- p.m. and above	Full wagon	2000 Kgs.

48(2) The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund from time to time, provided that the amount contributed by it shall be not more then 8 1/3% of the pay of the officer.	The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund, from time to time, provided that the amount contributed by it shall not be more than
	(i) 10% of 80% of pay on and from 1-11-1987 to 31-12-1988.
	(ii) 10% of 90% of pay on and from 1-1-1989 to 31-12-1989.
	(iii) 10% of pay on and from 1-1-1990 of the officer.

EXISTING REGULATION	PROPOSED REGULATION
49(2) The amount of gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay.	The amount of gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 month's pay.
Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.	Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.
	NOTE : If the fraction of service beyond completed years of service is six months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

Sd/-
Dy. Chief Officer, Associate Banks

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 6th March 1990

(CHARTERED ACCOUNTANT)

No. 29-CA/Law/D-16/90.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 read with regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the High Court of Judicature at Calcutta has, in pursuance to Section 21(6) (c) of the said Act, in case No.6666 of 1988 has ordered on 5-3-90 that the name of Shri S.K. Bhaumikk, FCA, M/s. S. Bhaumik & Company, Chartered Accountants, 1, Netaji Shbhas Road (2nd Floor), Calcutta-700 001 (M. No. 13196) be removed from the Register of members of the Institute for a period of one month from 12th March, 1990 for having been found guilty of professional misconduct within the meaning of Section 21 read with Section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, it is hereby informed that hhe name of the said Shri S. K. Bhaumik shall be removed from the Register of members of the Institute of Chartered Accountants of India for a period of one month w.e.f. 12th July, 1990 in terms of the said order of the High Court of Judicature at Calcutta.

M. C. NARASIMHAN,
Secretary

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta, the 12th February 1990

No. 18-CWR(207—212)/90.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members the name of (1) Shri G. S. Sundara Rajan, BCOM, AICWA, Sr Cost Accounts Officer, Madras Aluminium Co. Ltd. Post Box 4, Mettur Dam 636402 (M/2599) with effort from 15th November 1989. (2) Shri Premji Mithubhai Khansali, BCOM, ACA, AICWA, Controller of Accounts & Finance, Hindustan Construction Co. Ltd. Construction House, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Bombay 400 038 (M/3014) with effect from 21st November 1989. (3) Shri Yadav Rai Ahuja, MCOM, AICWA, Kafironda Ltd. P.O. Box 40092, Mufulira, Zambia (M/3538) with effect from 22nd November 1989. (4) Shri R. Bhogeshwar Rao, BCOM, AICWSA, Deputy General Manager (P), National Aluminium Co. Ltd. Corporate Finance Dept, IDCO Towers, Janpath, Bhubaneswar 751 007 (M/1362) with effect from 22nd November 1989. (5) Shri Mayank Pradyumna Shah, BCOM, FCA, AICWA, Dy Chief Accountant, Goodlass Nerolac Paints Ltd, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Bombay-400 013 (M/3563) with effect from 28th November 1989. (6) Shri V. Subramanian, BA, AICWA, 9A/4, Neelakanta Mehta Street, T. Nagar, Madras-600 017 (M/6731) with effect from 1st December 1989.

The 23rd February 1990

No. 18-CWR(213-217)/90.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members the names of (1) Shri Mayer Biharilal Shah, B.Sc. AICWA, 18 Prem Sagar, Linking Road, Santacruz (West) Bombay-400 054 (M/5980) with effect from 2nd November 1989. (2) Shri Pius Thomas, MCOM, MBA (Texas), AICWA, Asstt. Manager (I) Kerala State Electronics Dev. Corpn. Ltd. Trivandrum 695 033 (M/5893) with effect from 22nd November 1989. (3) Shri G. S. Sundara Rajan, BCOM, AICWA, Sr. Cost Accounts Officer, Madras Aluminium Co. Ltd. Post Box 4, Mettur Dam 636 402 (M/599) with effect from 20th November 1989. (4) Shri Amba Prasad Mukherjee, BSC, FICWA, Director, Pearless General Finance & Investment Co. Ltd., Park Centre, 3rd Floor, 24, Park Street, Calcutta-700 016, (M/562) with effect from 1st February 1990. (5) Shri J. S. Kameswara Rao, BCOM, FCA, AICWA, 1-1-582. Gandhinagar. New Bakaram, Hyderabad-500 080 (M/489) with effect from 16th August 1989.

PRABIR BOSE,
for Secreary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 5th March 1990

No. U-16/53/89-Med.II(Karnt.).—In pursuance of the resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23rd May, 1983, I hereby authorise Dr. T.S. Ananth of Bangalore to function as Medical Authority, with effect from 1-4-1990 to 20-11-1990 or till such time a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Bangalore Centre, on payment of monthly remuneration in accordance with the existing norms for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. K. M. SAXENA,
Medical Commissioner

New Delhi, the 1st March 1990

No. N-15/13/15/3/80-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the Ist March 1990 as the date from which the medical benefits as laid down in the said

Regulation 95-A and the West Bengal Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of West Bengal namely :—

'Haldia Notified Area'

A. C. JUNEJA
Director PLG. & DEV.

MINISTRY OF COMMERCE

(OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS)

Bombay-400 020, the 21st September 1989

ORDER

Sub : Cancellation of licence under Clause 9(1) (a) & (d) of the Imports (Control) Order 1955, as amended.

Ref : Suspension Order dated 14-9-89 against Advance Licence No. P/L. 3255475 dt. 30-6-89 for a cif value of Rs. 97,27,200/- and DEEC Book No. 029386 dt. 30-6-89 issued in favour of M/s. P. Bhushan & Co., Bombay-400 093.

F. No. ADV/UDES/52/5575/AM.90/L/ALS.VII.—whereas Advance Licence No. P/L. 3255475 dt. 30-6-89 for Rs. 97,27,200/- for 1870.611 Mts. of M.S. Low Carbon defective CRCA Sheets/Cuttings/Coils was issued to above firm, under the Duty Exemption Scheme on the recommendation of A.L.C., New Delhi for import of 1870.611 Mts. of M. S. Low Carbon defective CRCA Sheets/Cuttings/Coils with the Actual User Condition.

2. It has been reported by the Proprietor of the firm in respect of above advance Licence that the some of the persons are forging his signature on his letter heads and opened account in the Syndicate Bank, Santacruz in the name of his unit and misusing the same for their interest.

3. A Show Cause Notice dt. 14-9-89 was served on him asking him as to why the said Advance Licence should not be cancelled ab-initio and was also asked to reply within 7 days and given opportunity of Personal Hearing on 20-9-89.

4. However the proprietor did not turn up for Personal Hearing 20-9-89 and in order to give him final opportunity he was asked on Phone to attend Personal Hearing if he desires, accordingly he attended Personal Hearing on 21-9-89 and again made submission that his signatures have been forged on his own Letter Heads by some persons.

Having regard what has been said in the preceeding Paragraphs, I am satisfied that Licence should not serve the purpose for which it has been issued. In exercise of power vested under Clause 9(1) (a) & (d) of Imports (Control) order, 1955, I do hereby cancel the licence ab-initio bearing Licence No. P/L. 3255475 & DEEC No. 029386 dt. 30-6-89 issued in favour of M/s. P. Bhushan & Co., D-16, Udyog Sadan No. 2, M.I.D.C. Marol, Andheri (East), Bombay-400 093 and renders it completely ineffective and inoperative for the imports and clearance of goods from the Customs.

S. L. GADE
Dy. Chief Controller of Imports & Exports

To,

M/s. P. Bhushan & Company,
D-16, Udyog Sadan No. 2,
M.I.D.C. Marol,
Andheri (East),
Bombay-400 093.

Copy forwarded for necessary action to :—

(1) The Manager,
Syndicate Bank,
Bombay Zonal Office,
Cuffe Parade, Colaba,
Bombay-400 005.

(2) The Manager,
Syndicate Bank,
Santacruz Branch,
Bombay.

(3) The Reserve Bank of India,
Bombay.

(4) All the Port Offices/All Customs Authorities for necessary action.

K. J. SHIVDIKAR,
Controller of Imports & Exports,
For Joint Chief Controller of Imports & Exports.

MINISTRY OF FINANCE & DEPARTMENT OF REVENUE

Office of the Collector of Customs

Bangalore, the 22 February 1990

Ref :—C. No. VIII/17/202/89 Cus. Legal.—In persuance of Rule 3(1) of the Customs (Publication of Names) Rules, 1975, I hereby publish the name and particulars of the persons convicted under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) as specified below :—

Name and Address of the pensons convicted	Nature of offence	Name of the Court awarding the sentence	Criminal Case No.	Date of Conviction	Particulars of punishment awarded
1	2	3	4	5	6
Sanjay Bapu Mali, C/o Shahaji Appaji, Patil, H. No. 16, Thattara Street, Post : Kariakal, PONDICHERRY. or	Concerned in possessing, carrying, concealing, purchasing or in any other manner dealing with the 3 tampered pieces of gold of foreign origin weighing 198·5 gms.	III Additional Chief Judicial Magistrate Belgaum.	C.C. No. 907/88	3-7-1989	Convicted of the offences punishable under Section 135(1) (b) (ii) of the Customs Act, 1962 and sentenced to pay a fine of Rs. 1,750/- in default to undergo simple imprisonment for 15 days.

1	2	3	4	5	6
Shri Sanjay Bapu Mali, C/o Bapu Tukaram Mali, Village : Pare Taluk : Khanapur, Distt. : Sangli, MAHARASHTRA	valued at Rs. 39,700/- which he knew or had reason to believe were liable to confiscation under Section 111(d) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962),				

J. P. KAUSHIK
Collctoer of Customs
Bangalore

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER,

New Delhi-11 0001, the 28th February 1990

CORRIGENDUM

No. P.IV/1(8)/89/H.B.A.—In the notification No. IV/1 (8)/89/H.B.A./457, published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 16th Dec., 1989;

For the words "Secretary, General Board of Trustees" read the words "Secretary, Central Board of Trustees".

The 5th March 1990

No. CPFC 1(4)/TN (104)/90/2449 Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:-

S. No.	Name & Address of the establishment	Date of coverage
1	2	3
1.	M/s. Kannumekkipatty Primary Co-operative Bank, Kannumekkipatty, Guziliam Parai Post, Vedasandur Taluk, Tamil Nadu (TN/24023)	31.8.1989
2.	M/s, Venus Vidyalaya English Medium School, Balu Udyar Street, Vandavasi-604408. N.A. Distt.(TN/22813)	1-9-1988
3.	M/s. Graphic Impressions, 55, Langs Garden Road,Madras-2.(T/N/23223)	1.3.1989
4.	M/s. Dada Gas Agency, 28, Madhavaram High Road, (North) Perambur, Madras-11 including its Godown at 2-A, Raja Street, Madras (TN/23180)	1.1.1989
5.	M/s. Seeba Engineering, 5, BHEL Ancillary Estate, Ranipet-6.(LN/-23280)	1.12.1988
6.	M/s. A.R. Electrical Services, 42, Janakiram Colony, Arumbakkam, Madras-106. (TN/23297)	1.1.1989
7.	M/s. Kamala Traders, 1, Karur Road Dindigul-624004. (TN/20900)	28.2.1989
8.	M/s. Thermo Fab, No. 22, Melpatti Ponnappa Mudali Street, Vyasarpadi, Madras-39. (TN/23116)	1.11.1988
9.	M/s. Maharani Sarees, 146, Main Road, Dindigul-624001. (TN/20903)	31.3.1989
10.	M/s. Maharaja Silk House. 146,Main Road, Dindigul. (TN/20904)	31.3.1989
11.	M/s. Hindustan Heavy Electricals, Post Box No. 2044, No.66, Avarampalayam Road, K.R. Puram, Coimbatore-6(TN/21945)	1.4.1989
12.	M/s. V. Muthu 31, Thirupalli Street, Madras-79 (TN/23111)	1.11.1988
13.	M/s. Veeyeessar Enterprises, No.24, Rajaji Street, Mathialakan Nagar, Padi, Madras-50.(TN/23115)	1.11.1988
14.	M/s. United Industrial Engineers, 32,Workshop Road, I.B.88, Madurai. including its Sales Office: 36-A Workshop Road, Madurai-1.(TN/20962)	1.6.1989

1	2	3
15.	M/s. Sakthi Engineering, Plot No.57, SIDCO Industrial Estate Mukundarayapuram, Ranipet-632406.(TN/22790)	1.8.1988
16.	M/s. The Premier Tanners, Periavarikkam Village,51, M.C. Road, Ambur, N.A. Distt. 635802 including its branch-138: V.H. Road Periampet, Madras-3.(TN/22846)	1.9.1988
17.	M/s. Sree Sakthi Industries, 37/5, Velayudham Road, Sivakasi including its Office at 43-B, Velayudham Road, Sivakasi-626123 (TN/20894)	1.3.1989
18.	M/s. Meenakshi Matriculation School 744,T.H. Road, Madras-81. (TN-22830)	1.8.1988
19.	M/s. R & R Enterprises, Trichy,Dindigul Main Road, Vadamadurai-624802 including its Godown at S.F. 1484, Trichy Dindigul Road, Vadamadurai. (TN/24022)	1.8.1989
20.	M/s. Bhuvana Yarn Dyeings(P) Ltd. 35-4th Cross Karungalpatti, Salem-636006 including its Regd. office at 37-A, Sivanagar Main Road, Gujai, Selam-636006. (TN/21771)	1.1.1989
21.	M/s. Sri Vidyalayam Matriculation Higher Secondary School, 44-A, Parthasarathy Street, S.S. Colony, Madurai-16. (TN/20782)	1.12.1988
22.	M/s, Vaithiyarathapuram Primary Co-operative Bank, Periyakulam, (TN/20828)	1.1.1989
23.	M/s. Meenambika & Company, 86-C, Madurai Road, Begampur, Dindigurail-624002. (TN/24024)	1.9.1989
24.	M/s. Elias Transports, 12-B/4, Seevalaperi Road, Palayam Kottai-627002. (TN/20305)	1.9.1986
25.	M/s. Poly Print Industries, 104, Nelson Manicka Mudaliar Road, Madras-29 (TN/23001)	1.11.1988

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/2488.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. KARNATAKA from the operation of the said scheme for and upto a period of three years.

SCHEDULE—I

REGION KARNATAKA

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Omega Drilling, 80 Vijay Nagar Extension, Hubli-580032—Karnataka.	KN/6671	1-10-88	2/2374/90/DL
2.	M/s. Krishna Grameena Bank Plot No. 6, N. V. Layout, Gulbarga 585103-Karnataka.	KN/7871	1-3-89	2/2372/90/DLI
3.	M/s. Suvena Diesel Vidyanagar, PB Road, Hubli-580031.	KN/10192	1-10-88	2/2375/90/DLI
4.	M/s. Sri Sai Industries No. 538, Old Madras Road, Dooravaninagar, Bargalore-560016.	KN/1474	1-11-88	2/2376/90/DLI
5.	M/s. Miven May Fran Conveyers Ltd., sirurs Compound Karivar Road, Hubli 580024.	KN/11511	1-2-1989	2/2373/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishments do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees underthis Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heirs(s) of the deceased member enlitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/PT-I/2483.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Rajasthan frmo the operation of the said scheme for and upto a perod of three years.

SCHEDULE—I

REGION : RAJASTHAN

Sl. No.	Name & address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s. Marudhar Vikas Mandal Madhobagh, Harijan Basti, Jaipur.	RJ/658	1.9.88	2/2276/89/DLI
2.	M/s. Rajasthan Board for Prevention control of Pollution, J-2/35, Mahaveer Marg, Jaipur-302001.	RJ/2085	1.3.88	2/2404/90/DLI
3.	M/s. St. Anselm's Primary School, Ajmer.	RJ/3263	1.1.89	2/2405/90/DLI
4.	M/s. Floto Textiles Mfg. Co. H.M.T. Industrial Area, Ajmer.	RJ/3877	1.12.88	2/2406/90/DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2499.—WHEREAS M/s. Indian Aluminium Co. Ltd., P.O. Lohardaga, Distt. Lohardaga Bihar, (Code No. BR/936), have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/226/86/SS-II Dated 16-12-86 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 16-12-89 to 15-12-92 upto and inclusive of the 15-12-1992.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund

Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2504.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. West Bengal from the operation of the said scheme for and upto a period of three years.

SCHEDULE-I

REGION : WEST BENGAL.

Sl.No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	M/s. Bal Krishan Lal Poddar (Pvt) Ltd., 32, Chowringhee Road, Calcutta-700071.	WB/6241	1-3-1989	2/2393/90/DLI
(2)	M/s. United Agencies, 32, Chowringhee Road, Calcutta-700016.	WB/12001	1-3-1989	2/2392/90/DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2511.—WHEREAS M/s. Trichur Distt. Co-operative Hospital Ltd. Shoranur Road-680001 (Code No. KR/4515). have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :

AND WHEREAS, I. B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som. hereby exempt above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Kerala from the operation of the said Scheme for and upto a period 1-6-88 of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to axplain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2|1959|DLI|Exempt|89|Pt. I|2522.—WHEREAS, M|s. Bolani Ores Mines, At|P.O. Bolani, Keonjhar, (Code No. OR/80), have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourabl to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/2/86/SS-II, dated 31-1-86 and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. Son, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 31-1-1989 to 30-1-1992 upto and inclusive of the 30-1-1992.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall, arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt. 1/2516.—WHEREAS, M/s. Cadila Laboratories (P) Ltd. 294, G.I.D.C. Industrial Estate Ankleshwar, Gujarat, Code No. GJ/1357(A), have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees, Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourabl to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/173/83-PF.II(SS.II) dated 28-1-88 and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 22-10-1989 to 21-10-1992 upto and inclusive of the 21-10-1992.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such, accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall, arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI|Exempt/89/Pt. 1|2527.—WHEREAS, M/s. VXL India Ltd. (previously-Universal Electrics Ltd.) D. H. Road, PO Joka, 24, Paragana, (Code No. WB/11576), have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/76/85/SS-IV, dated 27-3-85 and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 27-3-88 to 26-3-91 upto and inclusive of the 26-3-91.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such, accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall, arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89|Pt. I|2533.—WHEREAS, M/s. The Tata Iron & Steel Company Ltd. Jamshedpur Bihar, Code No. OR/53, 54, 55A, 56, 55C, 55D, 232A, 232C, 748, 60B, 61, 1238, 60, 801, have applied for extension of exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/168/84/SS-IV, dated 14-6-85 and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 4-6-1988 to 3-6-1991 upto and inclusive of the 3-6-1991.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such, accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall, arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2493.—WHEREAS, M/s. East India Pharmaceuticals Works Ltd., 6, Little Russell Street, Calcutta-71 (Code No. WB/1152), have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :

AND WHEREAS, I, B. N. Som Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/202/85/SS-IV/ dated 9-9-85 and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 9-9-88 to 8-9-91 upto and inclusive of the 8-9-91.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provision of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporaton of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

The 9th March 1990

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/2698.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees, Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without, making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the abovesaid establishments with retrospective effect from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Tamil Nadu from the operation of the said Scheme for and upto a period of three years.

SCHEDULE-I

Sl.No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s. Press Equipment & Products Co. Office-23, West Cott Road, Rayapenah Madras-600014, and Factory at 811,G.N.T. Road, Red Hills,Madras-600052.	TN/3950	1-3-1988	2/2256/89/DLI
2.	M/s. Eco-Pack Private Limited 2,Dr. Nair Road, T. Nagar, Madras-600017.	TN/19695	1-3-89	2/2415/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employed.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the payment of premium the responsibility for payment of assurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/ legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt..I/2693.—WHEREAS M/s. Span India (P) Ltd., 227 Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 (DL/4649), have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act) ·

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from whoih date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Delhi from the operation of the said Scheme for and upto a period of three years i.e. 1-8-1986 to 31-7-1989.

SCHEDULE 2

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of Inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporaton of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/ legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 2nd February 1990

UT No. 282-A|DPD|(P&R)|3B|Vol. I|89-90.—The Executive Committee of the Unit Trust of India at its meeting held on December 21, 1989 has approved the amendments to the provisions of Children's Gift Growth Fund Unti Scheme 1986 which are published here below for information.

1. Cluase 2 (d) of the provisions shall be substituted by the following :

> "applicant" means an individual (not being a minor), a Company, Body Corporate, Registered Society, an eligible Trust or a Guardian appointed by a Court of competent jurisdiction who makes our application under Clause 4 of the scheme.

2. Clause 4 of the provisions shall be substituted by the following :

> "Application" for units under this scheme may be made by any adult, a Company, Body Corporate, Registered Society, an eligible Trust of a Court appointed guardian desirous of participating in this Scheme for the benefit of the child who has not completed 15 years of age on the date of application in the form prescribed by the Unit Trust of India.

P. P. SHASTRI,
Deputy General Manager (P&R)

Bombay, the 22nd March 1990

No. UT/ND/Premises/89-90.—In exercise of the powers conferred by and pursuant to the provisions of Regulation 19(2) of the Unit Trust of India General Regulations, 1964, it is hereby notified that Dr. A. C. Shah, Chairman and Managing Director, Bank of Baroda, Central Office, 3, Walchand Hirachand Marg, Ballard Pier, Bombay-400 038, who was the only candidate validly nominated by the institutions contributing to the initial capital of the Trust under clause (d) of sub-section (2) of Section 4 read with Clause (c) of Section 10 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) is deemed to have been elected to the Board of Trustees.

M. J. PHERWANI
Chairman

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990